न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 17/13/रेफरेन्स

1. रामलाल पुत्र स्व. झूंथाराम उर्फ कम्भाराम, जाति जाट, निवासी–ग्राम बावडी (सीकर) हाल आबाद ग्राम चक 11 बीडीबी, तहसील खजुवाला, जिला बीकानेर (राज.)
2. भागीरथह पुत्र स्व. झूंथाराम उर्फ कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बावडी (सीकर) हाल आबाद ग्राम चक 11 बीडीबी, तहसील, खजुवाला जिला बीकानेर (राज.)
3. रामेश्वर पुत्र पुत्र स्व. झूंथाराम उर्फ कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बावडी (सीकर) हाल आबाद ग्राम चक 11 बीडीबी, तहसील, खजुवाला जिला बीकानेर (राज.)
4. धन्नाराम पुत्र स्व. झूंथाराम उर्फ कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बावडी (सीकर) हाल आबाद ग्राम चक 11 बीडीबी, तहसील, खजुवाला जिला बीकानेर (राज.)
5. जवाहर पुत्र स्व. झूंथाराम उर्फ कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बावडी (सीकर) हाल आबाद ग्राम चक 11 बीडीबी, तहसील, खजुवाला जिला बीकानेर (राज.)
6. राधा देवी पत्नी स्व. झूंथाराम उर्फ कुम्भाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बावडी (सीकर) हाल आबाद ग्राम चक 11 बीडीबी, तहसील, खजुवाला जिला बीकानेर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1 केन्द्रीय सरकार जरिये सचिव, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।

2 महानिदेशक, सडक विकास एवं अपर सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।

3 भूमि अवाप्ति अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–11, सीकर खण्ड एवं अपर जिला कलेक्टर, सीकर

4. हरचन्द पुत्र गुल्लाराम जाति जाट, निवासी– ग्राम बावडी जिला सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(एच)(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

निर्णय **दिनांकः—25.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बावड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 0.53 है0 के 1/3 पर प्रार्थीगण आबाद और कब्जे काश्त है। उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकीन आबादी भूमि के नाम से ग्राम बावड़ी तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है जिसमें प्रार्थीगण के पितामह श्री बींजाराम और उनसे पूर्व उनके पूर्वज आबाद थे। उक्त बींजाराम की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि के वारिसानों में क्रमशः गुल्लाराम, नानूराम व झूंथाराम उर्फ कुम्भाराम वारिसान थे। श्री बींजाराम की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के पिता एवं उनके भाई मालिकाना हक के साथ रहवास कर रहे है। प्रार्थीगण के पिता एवं उनके भाई गुल्लाराम व नानूराम के परिवार में स्वामित्व को लेकर एक इकरारनामा पत्र दिनांक 26.09.2002 को निष्पादित किया गया जिसके अंतर्गत खसरा नम्बर 213 में वर्णित 0.53 हैक्टर भूमि/संपत्ति प्रार्थीगण एवं गुल्लाराम व नानूराम के परिवार में इकरारनामा पत्र के आधार पर बंटवारा किया गया, जिसके तहत उक्त विवादित भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से सटा हुआ हिस्सा [illegible]

आई जमीन एंव मकानात पर रहवास कब्जेधारी रहे। दिनांक 26.09.2002 में निष्पादित इकरारनामा पत्र के आधार पर पारिवारिक विभाजन के पश्चात प्रार्थीगण जो कि पिछले 25 वर्ष से ग्राम चक 11 बीडीबी, तहसील खजुवाला जिला बीकानेर निवास कर रहे हैं एवं समय समय पर आकर देखभाल करते थे एवं कब्जेधारी थे। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की देखरेख के लिए दिनांक 02.06.2013 को अपने पैतृक निवास स्थान ग्राम बावड़ी सीकर पर आये तो पता चला कि भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उक्त विवादित भूमि को अवाप्त कर लिया गया है जिस पर प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय में गये तथा तथ्यों की छानबीन करने पर प्रार्थीगण को जानकारी प्राप्त हुई कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) व 3(डी) की अधिसूचना जारी की जा चुकी हैं तथा धारा 3(बी) व 3(सी) की कार्यवाही भी संपूर्ण की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को हरचन्द पुत्र गुल्लाराम जाट का नाम अंकित किया हुआ है परन्तु विवादित भूमि सदैव से ही प्रार्थीगण के कब्जे रहवास में थी एवं इकरारनामा पत्र दिनांक 26.09.2002 के अनुसार भी खसरा नम्बर 213 की एन0एच0 11 से लगती सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में आई। अप्रार्थी संख्या 4 प्रार्थीगण के चाचा श्री गुल्लाराम का पुत्र है जिसका उक्त भूमि से कोई लेना–देना सरोकार नहीं है केवलमात्र प्रार्थीगण के मकानात और सम्पति की देखभाल के लिए अप्रार्थी संख्या 4 को उक्त मकानात के एक हिस्से में रहने की अनुमति प्रार्थीगण ने दी थी। उक्त खसरा संख्या 213 के एन0एच0 11 से सटते हिस्से पर पर शुरू से ही प्रार्थीगण के पिता झूंथाराम उर्फ कुम्भाराम रहवास करते थे और उसके उपरान्त प्रार्थीगण रहवास करते रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्ति हेतु भेजे गए किसी भी नोटिस की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी और स्वयं को भूमि एवं मकानात का मालिक बताते हुए उक्त खसरा संख्या 213 की अवाप्त भूमि की एवज् में मिलने वाले मुआवजे हेतु समक्ष प्राधिकारी को आवेदन कर दिया। अप्रार्थी संख्या 4 ने स्वयं को मालिक व स्वामी बताये हुए प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं मकानात जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तार में आ रहे थे कि एवज में प्राधिकरण से मिलने वाले मुआवजे हेतु आवेदन कर दिया और प्राधिकरण ने उक्त जमीन अवाप्त करके अप्रार्थी संख्या 4 के नाम अवार्ड पारित कर दिया। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा तथ्यों की छानबीन एवं जानकारी किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 4 के हक में अवार्ड जारी किया गया जिसमें कुल रूपये 4,16,740/–(अक्षरे चार लाख सोलह हजार आठ सौ चालीस रूपये मात्र) की राशि का मुआवजा निर्धारित करते हुए दिनांक 03.01.2013 को अवार्ड जारी कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में अवाप्ति की कार्यवाहियों को चुनौती देने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अंडर प्रोटेस्ट यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300(ए) के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से बिना विधिक प्रकिया अपनाए वंचित नहीं किया जा सकता। उक्त अनुच्छेद 300(ए) श्री के अवलोकनार्थ निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–300(A) :- Persons not be deprived of Property save by authority of law. - No person shall be deprived of his property save by authority of law. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अवाप्तिधीन भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण करते समय धारा 3(एच)(4) में बताये गये तथ्यों पर विचार किया जाना भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। उक्त धारा 3(एच)(4) के प्रावधान श्रीमान के अवलोकनार्थ निम्न प्रकार से प्रस्तुत है–

"3H. Deposit and payment of amount.-

(4) If any dispute arises as to the apportionment of the amount or any part thereof or to any person to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the dispute

court of original jurisdiction within the limits of whose juisdiction the land is situated."

उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत अवाप्तिधीन भूमि का हितधारी होना आवश्यक है एवं हितधारी व्यक्ति की परिभाषा में कहीं भी स्वामी ना हो एवं हितधारी व्यक्ति की परिभाषा में आता हो तो भी उसे भूमि अवाप्ति अधिकारी का यह परम उत्तरदायित्व है कि वह संबंधित सभी हितधारी व्यक्तियों को नोटिसेज आदि जारी करे। प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम तो प्रार्थीगण उक्त भूमि के एकमात्र मालिक स्वामी काबिज है दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानो के तहत हितधारी व्यक्ति की परिभाषा में भी आते हैं जिसे यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का अधिकार प्राप्त है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 4 की और से वकील श्री विजयपाल बगड़िया ने उपस्थित आकर वकालतनामा व जवाब आवेदन पेश किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन अन्तर्गत धारा 3(एच)(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बावड़ी में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 0.53 है0 पर प्रार्थीगण का मालिकाना हक व स्वामित्व होने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तारीकरण हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा सम्बंधी अवार्ड अप्रार्थी संख्या 4 के नाम जारी करने के विरूद्व प्रस्तुत किया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अति0 जिला कलक्टर सीकर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तारीकरण हेतु ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 213 में से 0.119 है0 भूमि अवाप्ति हेतु केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3क की अधिसूचना दिनांक 09.10.2010 को जारी की गई, जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों में राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर मे दिनांक 18.01.2011 को किया गया। तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 3घ की अधिसूचना दिनांक 11.11.2011 को ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 213 रकबा 0.119 है0 किस्म निवास या वास चारागाह के लिए ग्राम पंचायत बावड़ी के जारी की गई। जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करवाया गया। दोनों अधिसूचनाओं के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये जाने के उपरांत निर्धारित अवधि में उक्त खसरा नम्बर के लिए किसी भी खातेदार/हितधारी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाने के उपरांत मुआवजा निर्धारण एवं भुगतान प्रपत्र 3जी आदेश क्रमांक 1253–55 दिनांक 03.01.2013 को जारी किया गया। भूमि पर स्थित सनिर्माण के मुआवजा निर्धारण हेतु राशि सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड जयपुर की फर्म द्वारा मौके पर जांच कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर अवार्ड पारित किया गया है। जिसमें संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा नियमानुसार धारा 3ए, 3डी जारी की गई एवं आपत्ति अभाव में तद्नुसार 3जी (अवार्ड) पारित किया गया है। हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में अवार्ड राशि को स्थायी जमा के रूप में बैंक में जमा करवाया गया है। अवार्ड में उल्लेखित भूमि के सम्बंध में यदि अपीलार्थीगण हितबद्ध पक्षकार होने की योग्यता रखते है तो स्वयं सक्षम स्तर पर हितबद्ध पक्ष घोषित करवावें या भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) के द्वारा जारी अवार्ड को आरबीट्रेटर (मध्यस्थ) के समक्ष चुनौती दें। अपीलार्थी इस अवार्ड के विरूद्व यदि सक्षम स्तर पर अपील करते है, तो अपीलावधि में सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी को भी उक्त अपील की सूचना दें, ताकि अपील अवधि उपरांत भूमि अवाप्ति अधिकारी नियमानुसार हितबद्ध पक्ष को अवार्ड भुगतान कर

सके। पूर्व में पारित अवार्ड में संशोधन हेतु आरबीट्रेटर (जिला कलक्टर) महोदय के न्यायालय में विधिवत आवेदन पेश कर चाराजोही करने हेतु प्रार्थीगण स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
(भूमि अवाप्ति अधिकारी)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official